

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 319/17

संस्थापन दिनांक:-16/05/17

फायलिंग नं. 305/2017

मध्यप्रदेश राज्य
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रू द्ध

समीर पिता मोहम्मद खान, उम्र 26 वर्ष
 निवासी वार्ड नं. 3 आमला,
 थाना आमला, जिला बैतूल (उ.प्र.)

.....**अभियुक्त**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 11.09.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279 भा०दं०सं० के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 10.03.2017 को समय रात्रि 11:00 बजे स्थान थाना आमला से 0.1 किलोमीटर दक्षिण में जनपद चौक आमला में मोटर सायकिल क्र. एमपी-48-एमजी-3323 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 10.03.2017 को आमला शादी में आया था। रात करीब 11 बजे वह शादी से वापस अपने घर मोटर सायकिल क्र. एमपी-48-एमए-5751 से अपनी साली अनुराधा को बैठाकर घर जा रहा था। तभी जनपद चौक पर बस स्टैंड आमला तरफ से एक मोटर सायकिल वाले ने अपनी मोटर सायकिल को तेज एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी जिससे वे दोनों नीचे गिर गये और उन्हें चोटें आयी। उसे राहगीरों ने उठाया और आमला अस्पताल ईलाज के लिए भिजवाया। बाद में उसे राहगीरो ने टक्कर मारने वाली मोटर सायकिल का नंबर एमपी-48-एमजी-3323 बताया। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में मोटर सायकिल क्र. एमपी-48-एमजी-3323 के चालक के विरुद्ध अपराध क्र. 125/17 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी एवं आहतगण का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्त से मोटर सायकिल क्र. एमपी-48-एमजी-3323 को जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 प्रकरण में फरियादी नंदकिशोर एवं आहत अनुराधा का अभियुक्त से राजीनामा हो जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्त को धारा 337(दो काउंट में) भा.द.सं के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु अभियुक्त के विरुद्ध लगे धारा 279 भा०दं०सं० का आरोप अशमनीय होने से अभियुक्त का विचारण किया गया।

4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। अभियुक्त कथन योग्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं होने से धारा-313 दं०प्र०सं० के अंतर्गत अभियुक्त कथन अंकित नहीं किये गये मात्र मौखिक परीक्षण किया गया जिसमें उसका कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या घटना दिनांक, समय व स्थान पर मोटर सायकिल क्र. एमपी-48-एमजी-3323 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
2. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

विचारणीय प्रश्न क. 01 का निराकरण

6 फरियादी नंदकिशोर (अ.सा.-1) अपने न्यायालयीन कथनों में प्रकट किया है कि घटना इसी वर्ष मार्च माह की रात्रि 11 बजे की जनपद चौक आमला की है। घटना के समय वह अपनी साली को लेकर शादी कार्यक्रम से अपने घर जा रहा था तभी सामने से एक मोटर सायकिल तेजी से आयी और अचानक से टक्कर हो गयी थी जिससे गिरने से उसे एवं उसकी साली को चोटें आयी थी। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि गाड़ी की रोशनी के कारण वह नहीं देख पाया था कि सामने से आ रही मोटर सायकिल कौन चला रहा था तथा उसने घटना की रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) थाने में की थी। साक्षी अनुराधा (अ.सा.-2) ने फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि घटना के समय वह अपने जीजा के साथ मोटर सायकिल से शादी से अपने घर जा रही थी तभी सामने से एक मोटर सायकिल तेजी से आयी और अचानक से टक्कर हो गयी थी जिससे गिरने से उन्हें चोटें आयी थी। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने नहीं देखा था कि सामने से आ रही मोटर सायकिल कौन चला रहा था।

7 साक्षी नंदकिशोर (अ.सा.-1) एवं अनुराधा (अ.सा.-2) द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने के कारण साक्षीगण से न्यायालय द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर साक्षीगण ने इस बात को गलत बताया है कि सामने से आ रही मोटर सायकिल बहुत तेज रफ्तार से आ रही थी और मोटर सायकिल का चालक लापरवाही से मोटर सायकिल को चला रहा था। साक्षी नंदकिशोर (अ.सा.-1) ने इस बात को भी

गलत बताया है कि उसे बाद में पता चला था कि टक्कर मारने वाली मोटर सायकिल का नंबर एमपी-48-एमजी-3323 था। साथ ही साक्षी नंदकिशोर (अ.सा.-1) एवं अनुराधा (अ.सा.-2) ने प्रतिपरीक्षण में इस बात को सही बताया है कि रात्रि में अंधेरा होने के कारण वे नहीं देख पाये थे कि गाड़ी कौन चला रहा था।

8 उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रकट नहीं होता है कि घटना के समय अभियुक्त द्वारा मोटर सायकिल क्र. एमपी-48-एमजी-3323 का संचालन किया जा रहा हो और उक्त मोटर सायकिल को उसके द्वारा उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया गया हो। अतः साक्ष्य के नितांत अभाव में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279 भा.दं.सं. का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 02 का निराकरण

9 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि घटना दिनांक को अभियुक्त ने मोटर सायकिल क्र. एमपी-48-एमजी-3323 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया। फलतः अभियुक्त समीर को भारतीय दंड संहिता की धारा 279 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10 अभियुक्त के जमानत मुचलके 437-ए दं.प्र.सं. हेतु 6 माह के लिए विस्तारित किये जाते हैं। उसके पश्चात स्वतः निरस्त समझे जावेंगे।

11 प्रकरण में जप्तशुदा मोटर सायकिल क्र. एमपी-48-एमजी-3323 आवेदक/सुपुर्ददार समीर पिता मोहम्मद, निवासी दरगाह के पास आमला थाना आमला जिला बैतूल को अस्थायी सुपुर्दनामे पर दी गयी है। अपील अवधि पश्चात उक्त सुपुर्दनामा भारहीन हो। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।

12 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)